रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र

सत्यमेव जयते

Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-06082026-275253
SG-DL-E-06082026-275253

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 225]	दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 6, 2026/श्रावण 15, 1948	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 155
No. 225]	DELHI, THURSDAY, AUGUST 6, 2026/SHRAVAN 15, 1948	[N. C. T. D. No. 155

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

महिला एवं बाल विकास विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 6 अगस्त, 2026

फा. सं. डीडब्ल्यूसीडी–एफ 024/1/2026–एफएएस–डब्ल्यूसीडी/6765.— जबकि, सेवाओं या लाभों या सब्सिडी के वितरण हेतु पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग सरकारी वितरण प्रक्रियाओं को सरल बनाता है, पारदर्शिता एवं दक्षता लाता है तथा लाभार्थियों को अपनी पहचान प्रमाणित करने के लिए कई दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त करके सुविधाजनक तथा निर्बाध तरीके से सीधे अपने अधिकार प्राप्त करने में सक्षम बनाता है;

और जबकि, महिला एवं बाल विकास विभाग (तत्पश्चात् विभाग के रूप में संदर्भित) दिल्ली लक्ष्मी योजना (डीएलवाई) का संचालन कर रहा है, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की निवासी तथा 21 से 60 वर्ष की आयु के बीच की दिल्ली की पात्र गरीब महिलाओं को प्रति माह 2,500/–रुपये का वित्तीय लाभ हस्तांतरण प्रदान करना है तथा महिलाओं की निर्णय लेने की शक्ति को बढ़ाने, वित्तीय स्वायत्तता सुनिश्चित करने, आत्मसम्मान बढ़ाने और उनके सशक्तिकरण की दिशा में कार्य करने के लिए सीधे उनके ई–वॉलेट/खाते में धन उपलब्ध कराना भी है।

<u>वित्तीय सहायता का माध्यमः</u>

1. लाभार्थी के आवर्ती जमा (आरडी) खाते में प्रत्येक माह 1,500/–रुपये जमा किए जाएंगे, जिसकी लॉक–इन अवधि दिनांक 31.07.2029 तक है; जबकि, लाभार्थी को केंद्रीय बैंक डिजिटल करेंसी (सीबीडीसी) वॉलेट के माध्यम से उनके बैंक खाते से जुड़े वॉलेट में प्रत्येक माह 1,000/–रुपये प्रेषित किए जाएंगे। सीबीडीसी वॉलेट में व्यय करने पर कुछ प्रतिबंध लगाए जाएंगे ताकि नकारात्मक सूची जैसे कि मादक पेय, तंबाकू उत्पाद, नशीली दवाएं और मनः प्रभावी पदार्थ, लॉटरी टिकट, जुआ और सट्टेबाजी सेवाएं और सरकार द्वारा समय–समय पर प्रतिबंधित कोई अन्य वस्तुओं या सेवाओं में शामिल मदों की खरीद को रोका जा सके।

   या आवेदक बिंदु 2 में दिए गए दूसरे विकल्प का चयन करता है।

2. लाभार्थियों को उच्च प्रतिफल प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए, चयनित बैंकिंग पार्टनर के माध्यम से आवर्ती जमा (आरडी) के रूप में प्रत्येक माह 2,500/रुपये की राशि जमा की जाएगी, जिसमें आरडी पर प्रचलित ब्याज दर के अनुसार लॉक–इन अवधि दिनांक 31.07.2029 तक होगी।

3. योजना के शुभारंभ के दो वर्षों के बाद मंत्रिपरिषद द्वारा योजना के आकलन और समीक्षा के आधार पर बाद में आरडी की परिपक्वता तिथि में परिवर्तन किया जा सकता है।.

4. लाभार्थी का किसी ऐसे बैंक में खाता होना चाहिए जो सीबीडीसी वॉलेट सुविधा के अनुकूल हो।

लाभार्थी/आवेदक के पास आधार कार्ड होना चाहिए या योजना के अन्तर्गत पंजीकरण से पूर्व आधार नामांकन के लिए आवेदन करना अपेक्षित होगा।

और जबकि, उपर्युक्त योजना में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की संचित निधि से किया गया आवर्ती व्यय भी शामिल है;

अब, इसलिए, आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (तत्पश्चात् उक्त अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 7 के अनुसरण में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, एतद् द्वारा निम्नलिखित को अधिसूचित करते हैं, अर्थात्: –

1. (1) योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र वैयक्तिक को अपेक्षित होगा कि वे आधार संख्या होने का प्रमाण प्रस्तुत करें अथवा आधार प्रमाणीकरण से गुजरें।

(2) योजना के अंतर्गत लाभों को प्राप्त करने के इच्छुक कोई भी वैयक्तिक जिसके पास आधार नहीं है या जिसने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं कराया है, को योजना हेतु पंजीकरण से पूर्व आधार नामांकन के लिए आवेदन करना अपेक्षित होगा, बशर्ते कि वह अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत आधार प्राप्त करने की हकदार हो और उसे किसी भी आधार नामांकन केंद्र (भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) की वेबसाइट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध सूची) पर जाना होगा।

(3)आधार (नामांकन एवं अद्यतन) विनियमन, 2016 के विनियमन 12 के अनुसार, विभाग को अपने जिला कार्यालयों के माध्यम से उन लाभार्थियों के लिए आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करना अपेक्षित होगा, जिन्होंने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं कराया है। यदि उनके क्षेत्र में कोई आधार नामांकन केंद्र स्थित नहीं है, तो विभाग यूआईडीएआई के रजिस्ट्रारों के साथ समन्वय करके या स्वयं यूआईडीएआई रजिस्ट्रार बनकर सुविधाजनक स्थानों पर आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करेगा।

बशर्ते कि जब तक कि वैयक्तिक को आधार नहीं दिया जाता है, तब तक योजना के अन्तर्गत लाभों को ऐसे वैयक्तिक को दिया जाएगा, जो निम्नलिखित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के अधीन होगा, अर्थातः –

(क) यदि उसने नामांकन किया है, तो उसकी आधार नामांकन पहचान पर्ची; तथा

(ख) निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज, अर्थात् –

(i) फोटो सहित बैंक या पोस्ट आफिस पासबुक; या

(ii) स्थायी खाता संख्या (पैन) कार्ड; या

(iii) पासपोर्ट; या

(iv) राशन कार्ड

(v) मतदाता पहचान कार्ड

(vi) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) कार्ड; या

(vii) किसान फोटो पासबुक; या

(viii) मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अन्तर्गत लाइसेंसिंग प्राधिकरण द्वारा जारी ड्राइविंग लाइसेंस; या

(ix) आधिकारिक लेटरहैड पर राजपत्रित अधिकारी अथवा तहसीलदार द्वारा जारी किसी भी व्यक्ति का फोटो वाला पहचान पत्र; या

(x) विभाग द्वारा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज।

आगे यह भी उपबंधित है कि इस प्रयोजनार्थ उपरोक्त दस्तावेजों की जांच विभाग द्वारा विशेष रूप से निर्दिष्ट अधिकारी द्वारा की जा सकती है।

2. योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों को सुविधानुसार लाभ उपलब्ध कराने हेतु विभाग अपने जिला कार्यालयों के माध्यम से उक्त आवश्यकता से अवगत कराने के लिए मीडिया के माध्यम से लाभार्थियों को व्यापक प्रचार–प्रसार सुनिश्चित करने के लिए समस्त आवश्यक व्यवस्थाएँ करेगा।

3. सभी मामलों में, जहां लाभार्थियों की खराब बायोमेट्रिक्स के कारण या किसी अन्य कारण से आधार प्रमाणीकरण विफल हो जाता है, तो निम्नलिखित उपचारात्मक तंत्र को अपनाया जाएगा, अर्थात् : –

(क) खराब फिंगरप्रिंट गुणवत्ता के मामले में, प्रमाणीकरण के लिए आईरिस स्कैन या फेस ऑथेंटिकेशन सुविधा को अपनाया जाएगा, जिसके लिए विभाग अपनी कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से एकीकृत जोखिम सूचना प्रणाली स्कैनर या फेस ऑथेंटिकेशन के साथ–साथ फिंगरप्रिंट प्रमाणीकरण के लिए भी प्रावधान करेगा ताकि निर्बाध तरीके से लाभ प्रदान किया जा सके।

(ख) फिंगरप्रिंट या आईरिस स्कैन या फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण सफल नहीं होने की स्थिति में, जहां भी संभव तथा स्वीकार्य हो, आधार वन टाइम पासवर्ड या सीमित समय वैधता के साथ टाइम–आधारित वन–टाइम पासवर्ड, जैसा भी मामला हो, द्वारा प्रमाणीकरण प्रस्तुत किया जाएगा।

(ग) अन्य सभी मामलों में, जहां बायोमेट्रिक या आधार वन टाइम पासवर्ड या टाइम–आधारित वन–टाइम पासवर्ड प्रमाणीकरण संभव नहीं है, तो योजना के अंतर्गत भौतिक आधार पत्र के आधार पर लाभ दिया जा सकता है, जिसकी प्रामाणिकता आधार पत्र पर मुद्रित त्वरित प्रतिक्रिया कोड के माध्यम से सत्यापित की जा सकती है और त्वरित प्रतिक्रिया कोड रीडर की आवश्यक व्यवस्था विभाग द्वारा अपनी कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से सुविधाजनक स्थानों पर उपलब्ध कराई जाएगी।

4. उपरोक्त के अतिरिक्त, यह सुनिश्चित करने के लिए कि योजना के अंतर्गत कोई भी वास्तविक लाभार्थी अपने देय लाभों से वंचित नहीं है, विभाग अपनी कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से डीबीटी मिशन, मंत्रिमंडल सचिवालय, भारत सरकार की दिनांक 19 दिसम्बर 2017 के कार्यालय ज्ञापन में निर्दिष्ट अपवाद प्रबंधन तंत्र का पालन करेगा।

5. यह अधिसूचना शासकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के
आदेश से तथा उनके नाम पर,

बिपुल पाठक, आईएएस अपर मुख्य सचिव

DEPARTMENT OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 6th August, 2026

F. No. DWCD-F024/1/2026-FAS-WCD/6765.— Whereas, the use of Aadhaar as an identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner by obviating the need to produce multiple documents to prove one's identity;

And whereas, the Department of Women & Child Development (herein after referred to as the Department), is administering the Delhi Lakshmi Yojana (DLY), aimed to provide monthly financial benefit transfer of ₹2,500 per month to the eligible poor women in Delhi who are residents of NCT of Delhi and are between 21 to 60 years of age and to provide money directly in the e-wallet/Account of the women so as to enhance their decision-making power, ensure financial autonomy, increase self-esteem and lead to their empowerment.

MODE OF FINANCIAL ASSISTANCE:

1. Every month an amount of ₹1,500 is to be credited to the beneficiary's Recurring Deposit (RD) account with a lock-in period till 31.07.2029, while ₹1,000 shall be remitted every month to the beneficiary through a Central Bank Digital Currency (CBDC) wallet linked to his/her bank account. The CBDC wallet shall be configured with spending restrictions to prevent the purchase of items included in the Negative List, such as alcoholic beverages, tobacco products, narcotic drugs and psychotropic substances, lottery tickets, gambling and betting services and any other goods or services prohibited by the Government from time to time.

   OR *the applicant goes for the second option as given at point 2*

2. An amount of ₹2,500 shall be credited every month as a Recurring Deposit (RD) through the selected banking partner, in order to enable beneficiaries to avail higher returns, with a lock-in period till 31.07.2029, as per the prevailing rate of interest on RD.

3. The date of maturity of the RD can be subsequently changed by the Council of Minister upon assessment and review of the scheme after two years of its launch date.

4. The beneficiary should have an account in a Bank which is compatible with CBDC wallet facility.

The beneficiary/applicant shall have possession of Aadhaar Card or shall be required to make application for Aadhaar enrolment **before registration under** the scheme.

And whereas, the aforesaid Scheme involves recurring expenditure incurred from the Consolidated Fund of Government of NCT of Delhi.

Now, therefore, in pursuance of Section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi hereby notifies the following, namely:

1. (1) An individual eligible for receiving benefits under the scheme shall be required to furnish proof of possession of Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.

   (2) Any individual desirous of availing benefits under the scheme who does not possess Aadhaar or has not enrolled yet, shall be required to apply for Aadhaar enrolment before registering for the Scheme, provided she is entitled to obtain Aadhaar under Section 3 of the Act and shall visit any Aadhaar enrolment centre (list available at UIDAI website www.uidai.gov.in).

   (3) As per Regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Department through its District Offices is required to offer Aadhaar enrolment facilities for beneficiaries who are not yet enrolled. If there is no enrolment centre in the locality, the Department shall provide enrolment facilities at convenient locations in coordination with UIDAI Registrars or by becoming a Registrar themselves.

   Provided that, till the time Aadhaar is assigned to the individual, benefits under the Scheme shall be given to such individual, subject to the production of the following documents, namely: -

   (a)If she has enrolled, her Aadhaar Enrolment ID Slip, and

   (b) Any one of the following documents, namely:

   (i) Bank or Post Office Passbook with Photo; or

   (ii) Permanent Account Number (PAN) Card; or

   (iii) Passport; or

(iv) Ration Card

(v) Voter Identity Card

(vi) MGNREGA Card; or

(vii) Kisan Photo Passbook; or

(viii) Driving License issued by the Licensing Authority under Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or

(ix) Certificate of identity having photo of such person issued by Gazetted Officer or a Tehsildar on an official letter head; or

(x) Any other document specified by the Department.

Provided further that the above documents may be checked by an officer specifically designated by the department for that purpose.

2. In order to provide benefits to the beneficiaries under the Scheme conveniently, the Department through its district offices shall make all the required arrangements to ensure that vide publicity through the media shall be given to the beneficiaries to make them aware of the said requirement.

3. In all cases, where Aadhaar authentication fails due to poor biometric of the beneficiaries or due to any other reason, the following remedial mechanism shall be adopted, namely:

a) In case of poor fingerprint quality, IRIS scan or face authentication facility shall be adopted for authentication, thereby the Department through its Implementation Agency shall make provisions for Integrated Risk Information System scanners or face authentication along with finger-print authentication for delivery of benefits in seamless manner;

b) In case the biometric authentication through fingerprints or IRIS scan or face authentication is not successful, wherever feasible and admissible authentication by Aadhaar One Time Password or Time-based One –Time Password with limited time validity, as the case may be, shall be offered;

c) In all other cases where biometric or Aadhaar One Time Password or Time-based Onetime Password authentication is not possible, benefits under the Scheme may be given on the basis of physical Aadhaar letter whose authenticity can be verified through the Quick Response code printed on the Aadhaar letter and the necessary arrangement for Quick Response code reader shall be provided at the convenient locations by the Department through its Implementing Agency.

4. In addition to the above, in order to ensure that no Bonafide beneficiary under the scheme is deprived of her due benefits, the department through its implementing agency shall follow the exception handling mechanism as outlined in the Office Memorandum of DBT mission, Cabinet Secretariat, Govt. of India dated 19th December 2017.

5. This notification shall come into effect from the date of its publication in the official Gazette.

By Order and in The Name of Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,

BIPUL PATHAK, IAS Addl. Chief Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA